राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955
अनवान मांगीलाल बनाम चम्पालाल व अन्य

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 13/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2023/53

अपीलाण्ट्स		रेस्पोडेण्ट्स
1.मांगीलाल पुत्र ओगड़राम 2.छोगाराम पुत्र ओगड़राम जातिगण मीणा निवासीगण गांथी, तहसील देसूरी जिला पाली राज.	बनाम	1.चम्पालाल पुत्र मगाराम जाति मीणा निवासी गांथी, हाल निवासी सारण तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली राज. प्रफोर्मा रेस्पोडेण्ट 1.मालाराम पुत्र ओगड़राम जातिगण मीणा, निवासीगण गांथी, तहसील देसूरी जिला पाली राज.

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम, विरुद्ध तहसीलदार, देसूरी के निर्णय दिनांक 16.11.2022 जो प्रकरण संख्या 02/2022, चम्पालाल बनाम मांगीलाल व अन्य में पारित किया गया।

—:निर्णय:—

उपस्थिति :— अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित

दिनांकः 09.05.2024

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि अपीलांट मांगीलाल पुत्र ओगड़राम आदि ने तहसीलदार देसूरी के निर्णय दिनांक 16 नवंबर 2022 के विरुद्ध एक अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गाथी तहसील देसूरी में कृषि भूमि खसरा नंबर 815 रकबा 0.34 हेक्टयर स्थित है जो रेस्पोंडेंट संख्या एक चंपालाल के नाम दर्ज चल रही है। रेस्पोंडेंट ने एक प्रार्थना पत्र न्यायालय तहसीलदार देसूरी को प्रस्तुत कर उक्त भूमि का कब्जा दिलाने का निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के जवाब पर विचार नहीं कर 16.11.22 को अपीलांट को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने एवं लगान का 50 गुना शास्ती के रूप में आरोपित करने का निर्णय पारित किया। जिस निर्णय के विरुद्ध उक्त अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत है निर्णय जेर अपील विधि विधान एवं तथ्यों के विरुद्ध पारित किए जाने से काबिल खारिज है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में अनुसूची तृतीय में क्रम संख्या 68 ग में मियाद स्पष्ट लिखी हुई है जिसका उल्लेख अपीलांट ने अपने जवाब में स्पष्ट रूप से किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने संक्षिप्त विचारण के दौरान प्रार्थी की कोई साक्ष्य नहीं ली। रेस्पोंडेंट ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित नहीं किया है जबकि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में अपने पक्ष में पड़ोस के उस गांव के तीन मुखियाओं के शपथ पत्र पेश किया जिनसे जिरह करना भी प्रार्थी ने उचित नहीं समझा।अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय करने में कानूनी भूल की है जिस कारण यह निर्णय खारिज योग्य है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पॉन्डेंट को नोटिस जारी किए गए। अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकॉर्ड मंगवाया गया एवं प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया।अधिवक्ता रेस्पॉन्डेंट ने जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहा एवं सीधे बहस हेतु निवेदन किया।अधिवक्ता उभय पक्षों की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि सन 1975 में रुपए उधार दिए गए एवं कब्जा लिया गया जिसकी लिखा पड़ी भी जवाब के साथ अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। साक्षी भी प्रस्तुत किए गए किंतु जिरह नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में इन तथ्यों का ध्यान नहीं रखा। अतः अपील स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त किया जावे। रेस्पोंडेंट अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि हमारी खातेदारी भूमि है। 40 वर्षों का कोई कब्जा साबित नहीं कर पाए हैं। खसरा गिरदावरी में खातेदार चंपा द्वारा ही कास्त की गई है अपीलांट साबित नहीं कर पाए हैं अतः अपील अस्वीकार की जावे

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

हमने प्रस्तुत अपील एवं सलग्न दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत जवाब एवं दोनों पक्षों की बहस का अध्ययन एवं गहनता से मनन किया और यह पाया कि प्रस्तुत अपील सारहीन है। एक खातेदार को उसकी खातेदारी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है जिसमें हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। अपीलांट को 1975 में कच्ची लिखत हेतु कोई लाभ दिया नहीं जा सकता। अपीलांट

CamScanner

द्वारा सक्षम न्यायालय में घोषणा का वाद प्रस्तुत करना चाहिए था। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड लोटाया जावे। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनाक 30.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फेशल शुमार की जाकर नंबर से कम हो ।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला पाली